

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/८०८५-८/३०

दिनांक: १७.०२.२०१४

आदेश संख्या: ३७७ / २०१३-१४

राजस्थान अधीनस्थ लेखा रोवा नियम 1963 के नियम 30 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाकारों को कार्यभार संभालने की दिनांक से 6 माह अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तिथि या विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अध्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, पूर्णतः आवश्यक अस्थाई आधार पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के पद पर वेतन श्रंखला (पी.बी.2) 9300-34800 ग्रेड-पे (रूपये 4800/-) में एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	लिंक नं०	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	प्रवर्ग	जन्म तिथि	विशेष विवरण
1.	3636	स्नेहलता गर्ग	-	29.07.65	
2.	3134	अशोक कुमार जिन्दल	-	02.10.61	
3.	8781	येनीमाधव परिहार	अजा	26.07.68	
4.	1887	राजपाल बैरवा	अजा	05.08.61	
5.	5897	शंकरलाल मीणा	अजजा	20.07.66	

उपर्युक्त अधिकारी पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। यह पदोन्नति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन की जाती है:-

1. यह पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई/ अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये, दी जाती है।
2. जिस पद से पदोन्नति दी गई है उस पद पर कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
3. इस आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. इस प्रकार की पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता सम्बन्धी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
6. आवश्यक अस्थाई पदोन्नतियां केवल नियमित पदोन्नतियों से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
7. इन तदर्थ पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता है।

8. यदि कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक, आपराधिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णय हो जाए अथवा न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पात्रता, दक्षता एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार पर शासन की दृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने अथवा विभागीय जाँच यथारिति करने का निर्णय सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश प्रसारित करने की तिथि से समाप्त समझी जावेगी / हो जावेगी।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2013 जयपुर, दिनांक 18.09.2013 एवं प.2(15)वित्त/राजस्व/10 दिनांक 30.09.2013 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

*दत्तज्ञ*  
(वीरबाला जोशी)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/ ८८४५ -८१०८

दिनांक: १७.२.१५

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....

3. श्री ..... लेखाकार, कार्यालय .....

- ✓ 4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
5. सहायक निदेशक, अलेसे द्वितीय।
  6. निजी सहायक निदेशक महोदय।
  7. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।

*दत्तज्ञ*  
(क.एम. भीणा)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- II)